द्वारा फैक्स/ई–मेल

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ।

लाजिस्टिक्स इकाई, सिग्नेचर भवन, पंचम तल, टावर–1 गोमतीनगर विस्तार फेज–2 लखनऊ

(फैक्स नम्बर–0522–2724030)

पत्र संख्याः लाजि0–एम0टी0–19/2024 दिनांकः मई 31, 2025

आदेश

उत्तर प्रदेश पुलिस मोटर परिवहन शाखा अधीनस्थ अधिकारी सेवा नियमावली–2015 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर अपर पुलिस महानिदेशक,स्थापना उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्र संख्या डीजी–चार–125–(14)/2018 दिनांक 14–09–2024 के साथ प्राप्त अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या पीआरपीबी–चार–12(34)/2024 दिनांक 10–09–2024 द्वारा निम्न आरक्षी चालकों को मुख्य आरक्षी चालक के पद पर पदोन्नति हेतु चयन वर्ष–2024 में उपयुक्त पाये जाने के उपरान्त पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के अनुमोदन दिनांक 14–09–2024 के क्रम में **31 मई, 2025** को अधिवर्षता आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप उपलब्ध रिक्तियों के सापेक्ष **दिनांक 01–06–2025 से** उनके वर्तमान नियुक्ति स्थान पर **मुख्य आरक्षी चालक** के पद पर पदोन्नति प्रदान की जाती हैः–

सूची क्रमांक	वरिष्ठता क्रमांक	पीएनओ सं0	कार्मिक का नाम	पिता का नाम	नियुक्ति स्थान	चयन वर्ष
213	279	980590485	राजवीर सिंह	श्री हरी सिंह	अलीगढ	2024
214	280	980590254	शिवपाल सिंह	श्री बच्चू सिंह	कमिश्नरेट कानपुर नगर	2024
215	281	980520521	श्री राकेश कुमार	श्री बाबूलाल सिंह	उ0प्र0 सतर्कता अधिष्ठान, (मुख्यालय),मेरठ।	2024
216	282	030710069	बृजेश कुमार	श्री ईश्वरी प्रसाद	अलीगढ	2024
217	283	980591664	मनोज कुमार	श्री बहादुर सिंह	जालौन	2024
218	284	030470590	सरदार सिंह	श्री रामऔतार	झॉसी	2024
219	285	040710046	वरूण यादव	श्री मनवीर सिंह	सुरक्षा विभाग, लखनऊ	2024
220	286	050500042	विजेन्द्र सिंह	श्री पाती राम	मथुरा	2024
221	287	970490072	सुरेश कुमार सिंह	श्री शिव कुमार सिंह	कमिश्नरेट, लखनऊ	2024
222	288	980741232	रमाकान्त प्रसाद	श्री राम दुलारे	जनपद श्रावस्ती	2024
223	290	980551947	नैनपाल सिंह	लक्खीराम	गाजियाबाद	2024
224	291	970610126	योगेन्द्र कुमार सिंह	श्री चन्द्रशेखर सिंह	गाजीपुर	2024
225	292	030650578	आशीष कुमार यादव	श्री रमेश चन्द्र यादव	कमिश्नरेट, लखनऊ	2024

2. पदोन्नति पाये समस्त मुख्य आरक्षी चालक अपने नियुक्ति स्थान जनपद/इकाई/शाखा के मुख्यालय पर कार्यभार ग्रहण करेंगे एवं कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की अवधि तक परिवीक्षाधीन रहेगें, जिसे सेवा नियमावली–2015 के प्राविधानों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा आगे बढ़ाया जा सकेगा। सफलतापूर्वक परिवीक्षाकाल पूर्ण करने पर सक्षम स्तर से इस हेतु आदेश निर्गत किये जायेगें। पदोन्नति पाये कर्मी के वर्तमान नियुक्ति का स्थान यदि स्थानान्तरण के कारण परिवर्तित हो गया हो तो ऐसे कर्मी नये नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करेगें। पदोन्नति पाये मुख्य आरक्षी चालक की आगामी नियुक्ति/स्थानान्तरण के सम्बन्ध में अलग से निर्णय लिया जायेगा।

3. पदोन्नति पर कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित आरक्षी चालक से संलग्न प्रारूप (क) में स्वहस्ताक्षरित घोषणा पत्र लेकर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि शासनादेश संख्या 13/21/89–का–1–1997 दिनांक 28–05–1997 के खण्ड–2 में दी गयी निम्नलिखित 03 परिस्थितियॉ यथा (क) यदि कार्मिक निलम्बित चल रहा है, (ख) यदि कार्मिक के विरूद्व अनुशासनिक कार्यवाही या प्रशासनाधिकरण की कार्यवाही लम्बित है, जिसके लिए आरोप पत्र जारी किया जा चुका है तथा (ग) यदि आपराधिक आरोप पत्र के आधार पर कार्मिक के विरूद्व अभियोजन की कार्यवाही लम्बित है, अर्थात न्यायालय में अभियोजन हेतु आरोप–पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है। आरक्षी चालक के उपरोक्त के विरूद्व विद्यमान नहीं हो।

4. यदि स्वहस्ताक्षरित घोषणा पत्र में अथवा अभिलेखों में उर्पयुक्त प्रस्तर–3 में अंकित परिस्थितियॉ विद्यमान नहीं है, तो सम्बन्धित आरक्षी चालक को मुख्य आरक्षी चालक के पद पर कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा। यदि स्वहस्ताक्षरित घोषणा पत्र अथवा अभिलेखों में प्रस्तर–3 में अंकित परिस्थितियॉ विद्यमान पायी जाती है, तो सम्बन्धित आरक्षी चालक के पदोन्नति आदेश का कियान्वयन नही कराया जायेगा, तथा ऐसे सम्पूर्ण तथ्यों सहित आख्या लॉजिस्टिक्स इकाई उ0प्र0 लखनऊ को उपलब्ध कराते हुए दिशा–निर्देश प्राप्त किया जायेगा।

5. यदि सम्बन्धित आरक्षी चालक द्वारा स्वहस्ताक्षरित घोषणा पत्र में अंकित कोई तथ्य असत्य अथवा छिपाया हुआ पाया जाता है तो उसके विरूद्व अभियोग पंजीकृत कराये जाने की कार्यवाही उस जनपद/इकाई/पीएसी द्वारा की जायेगी, जिस जनपद/इकाई/पीएसी में उसके द्वारा स्वघोषणा पत्र प्रस्तुत किया गया है, साथ ही प्रथम सूचना रिपोर्ट सहित सम्बन्धित कर्मी को पदावनति किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही हेतु सम्पूर्ण तथ्य/अभिलेख लॉजिस्टिक्स इकाई उ0प्र0 लखनऊ को उपलब्ध कराये जायेगें।

6. आदेश की प्रति एवं घोषणा पत्र की प्रति प्रारूप 'क' उत्तर प्रदेश पुलिस की बेवसाईट up police-police units-Logistics-circular-For latest circular click here-Go to circular archive पर प्रदर्शित है।

संलग्नकः

<u>स्वघोषणा पत्र का प्रारूप–क</u>

31.5.25

(राजकुमार)
अपर पुलिस महानिदेशक,लाजिस्टिक्स,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को कृपया सूचनार्थ एवं इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि कृपया अपने जनपद/इकाई में नियुक्त सूची में अंकित आरक्षी चालकों को उपरोक्त निर्देशों के अनुरूप पदोन्नति आदेश निर्गत करने का कष्ट करें:–

1. अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 सतर्कता अधिष्ठान लखनऊ।
2. अपर पुलिस महानिदेशक, सुरक्षा विभाग उ0प्र0 लखनऊ।
3. पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट जनपद कानपुर/लखनऊ एवं गाजियाबाद।
4. वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, जनपद अलीगढ़/जालौन/झॉसी/मथुरा/श्रावस्ती एवं गाजीपुर।

<u>संख्या तथा दिनांक वही।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को कृपया सूचनार्थ प्रेषित :–

1. अपर पुलिस महानिदेशक/सदस्य, उ0प्र0पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ को उनके पत्र दिनांक 10–09–2024 के संदर्भ में।
2. पुलिस महानिरीक्षक,स्थापना उ0प्र0 लखनऊ को उनके पत्र दिनांक 14–09–2024 के संदर्भ में।

स्व–घोषणा–पत्र

मैं——————————————————————————(नाम/पदनाम व पीएनओ)

पुत्र————————————————निवासी——————————————————

थाना——————————————जनपद————————————वर्तमान में (जनपद/इकाई का नाम)

———————————— नियुक्त हूँ तथा घोषित करता हूँ कि–

(क) "मेरे विरुद्ध उ0प्र0अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की (दण्ड एवं अपील) नियमावली–1991 के नियम–14(1) के अन्तर्गत कोई विभागीय कार्यवाही लम्बित अथवा प्रचलित नहीं है तथा कोई आपराधिक अभियोग माननीय न्यायालय में विचाराधीन नहीं है और न ही वर्तमान में निलम्बित हूँ।"

2. उपरोक्त घोषणा में यदि मेरे द्वारा कोई तथ्य असत्य अथवा छिपाया पाया जाता है तो मेरी पदोन्नति निरस्त कर मुझे मूल पद पर पदावनत करते हुए मेरे विरुद्ध स्थापित विधि व्यवस्था के अन्तर्गत नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाय, जिस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

3. यह घोषणा-पत्र मेरे द्वारा पूर्ण रूप से होशोहवास में बिना किसी दबाव के दिया जा रहा है जिसका मेरे द्वारा पूर्ण रूपेण पालन किया जायेगा।

हस्ताक्षर
(नाम/पदनाम/पीएनओ सहित)
नियुक्ति स्थान/दिनांक

यदि सम्बन्धित कर्मी के विरुद्ध उ0प्र0अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों/ कर्मचारियों (दण्ड एवं अपील) नियमावली–1991के नियम–14(1) के अन्तर्गत कोई विभागीय कार्यवाही लम्बि अथवा प्रचलित है अथवा कोई आपराधिक अभियोग माननीय न्यायालय में विचाराधीन है अ निलम्बित है, तो उसका पूर्ण विवरण उनके द्वारा नीचे अंकित किया जायेगा:–

(1) वर्तमान में निलम्बित है तो उसका निलम्बन आदेश/दिनांक तथा कारण–————————

(2) मेरे विरुद्ध उ0प्र0अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की (दण्ड एवं अ नियमावली–1991 के नियम–14(1) के अन्तर्गत जनपद/इकाई ———————— में कार्यवाही लंबित है, जिसमें दिनांक———————— को आरोप–पत्र दिया गया

(3) मेरे विरुद्ध मु0अ0सं0————————धारा———————— थाना———————— जनपद———————— में लंबित है, जिसमें दिनांक————————को स्व पुलिस अथवा जाँच एजेन्सी————————द्वारा आरोप–पत्र मा0 न्याय में प्रेषित किया गया है तथा अभियोग———————— वर्तमान में ———— स्तर पर चल रहा है।

हस्ताक्षर
(नाम/पदनाम/पीएनओ सहित
नियुक्ति स्थान/दिनांक

प्रमाणित
जनपद/इकाई के प्रभारी
नाम/पदनाम की मुहर

नोट:–स्वघोषणा–पत्र में अंकित जो प्रस्तर अथवा उप–प्रस्तर लागू न हों उसे स्पष्ट रूप से व दिया जाय।